



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in

Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक-15/रेरा/2022/1278

रायपुर, दिनांक 21/09/2022

// आदेश //

विषय :- रजिस्ट्रेशन के नियमितकरण (Regularisation of Registration) के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्धारण।

प्राधिकरण द्वारा बैठक दिनांक 22.07.2022 में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे समस्त पंजीकृत प्रोजेक्ट्स “जिन्हे पंजीयन अवधि समाप्त होने के 06 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने उपरांत सक्षम अधिकारी से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है,” को पूर्णता दिनांक तक पंजीयन को नियमित कराना होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स के पंजीयन को पूर्णता दिनांक तक नियमित करने की प्रक्रिया को **“रजिस्ट्रेशन का नियमितकरण” (Regularisation of Registration)** के रूप में माना जायेगा तथा इस हेतु प्रमोटर्स द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार मानक प्रचालन प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय बैठक दिनांक 14.09.2022 को लिया गया है :-

1. ऐसे प्रोजेक्ट्स के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजीयन विस्तार नहीं मानते हुये केवल पंजीयन का नियमितकरण (Regularisation of Registration) नियमितकरण माना जायेगा।
2. ऐसे प्रोजेक्ट्स के पंजीयन के नियमितकरण हेतु प्रमोटर्स को इस आदेश के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. प्रमोटर्स को नियमितकरण हेतु दो प्रतियों में कंडिका क्रमांक -2 में उल्लेखित प्रारूप में ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रारूप के अलावा अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
4. प्रोजेक्ट का निर्धारित अवधि में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होने के कारणों के संबंध में भी दस्तावेजों सहित (साक्ष्यों सहित) व्याख्यात्मक टीप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(1)

5. प्रमोटर्स को आवेदन के साथ निम्नानुसार शुल्क का भी भुगतान करना होगा –

स.क्र.	समयावधि	विलंब शुल्क
1	पंजीयन पूर्णता दिनांक से 06 से 12 माह तक आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क का 150 प्रतिशत
2	पंजीयन पूर्णता दिनांक से 01 वर्ष से 02 वर्ष तक आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क का 175 प्रतिशत
3	पंजीयन पूर्णता दिनांक से 02 वर्ष या उससे अधिक समयावधि पश्चात् आवेदन करने पर	पंजीयन शुल्क का 200 प्रतिशत

6. प्रमोटर्स द्वारा उपरोक्त रीति से आवेदन प्रस्तुत करने उपरांत संलग्न प्रारूप में रजिस्ट्रेशन के नियमतिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।

भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा – 37 व 38 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रमोटर्स को उक्त आदेश के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा आदेशित)

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(
(डॉ. अनुश्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर, छत्तीसगढ़

REGULARISATION FORM
[See CG-RERA Order No. 15]

APPLICATION FOR REGULARISATION OF REGISTRATION OF PROJECT

From:

.....
.....
.....

To

The Real Estate Regulatory Authority,
.....
.....
.....

To

I/we hereby apply for regularisation of registration of the following project:

.....
.....

Registered with the Regulatory Authority vide project registration certificate bearing No. ,
which expired on

As required I/we submit the following documents and information, namely:—

- (i) A demand Draft No./Bankers Cheque No. dated for rupees
in favour of drawn on bank as fee as provided under order no. 15 dated
..... or through online payment as the case may be (give details of online
payment such as date paid, transaction number etc.);
- (ii) Explanatory note regarding the reason for delay in obtaining completion certificate of the
project or reason for not completing the development work in the project within the period
declared in the declaration submitted in Form 'B' at the time of making application for the
registration of the project.....
- (iii) Any other information as may be specified by regulations/circulars.

Place :

Dated :

Yours faithfully,
Signature and seal of the applicant(s)

CERTIFICATE FOR REGULARISATION OF REGISTRATION OF PROJECT

[See CG-RERA Order No. 15]

This registration is granted under Order No. 15 Dated 21-09-2022, to the following project:

.....
.....

Registered with the Real Estate Regulatory Authority vide project registration certificate bearing No. of

1. (in the case of individual) Mr./Ms Son of Mr./Ms. Tehsil District State

OR

(in case of a firm/society/company/competent authority)firm/society/company/competent authority having its registered office/principal place of business at

2. This renewal of registration is granted subject to the following conditions namely:-

(i) The Promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the Allottee or the association of the Allottees , as the case may be, of the apartment or the common areas as per section 17.

(ii) The registration is regularized till the(date of receiving completion certificate from competent authority)

(iv) The Promoter shall comply with provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder.

(v) The Promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project has been developed.

(vi) If the above mentioned conditions are not fulfilled by the Promoter, The Real Estate Regulatory Authority may take necessary action against the Promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Place :

Dated :

Signature and seal of the
Authorized Officer
Real Estate Regulatory Authority